न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नाई
2. प्रकरण संख्या : 156 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर

बनाम

1. दिलीप सिंह राजपूत पुत्र श्री सायर सिंह निवासी एच–6ए, रामनगर, सोडाला, जयपुर।
2. मालिक मारुति वैन संख्या आरजे–14–टी–5183 जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 27 / 05 / 2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, औंकार लाल सिरवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 06.05.2006 को निर्धारित स्थल सेन्ट जेवियर स्कूल के पास क्षेत्र में पंहुचे। उक्त क्षेत्र हेतु गठित परिवहन विभाग दल के साथ संयुक्त रुप से गुजरने वाले वाहनों की जांच घरेलू गैस सिलेण्डर्स से वाहन चालन दुरुपयोग की रोकथाम कार्यक्रम के तहत की गई। जांच के दौरान संयुक्त जांच दल द्वारा मारुति वेन नम्बर आरजे–14–टी–5183 सफेद कलर की जांच की गई तो उसमें घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी कम्पनी का वाहन चालाने के उपयोग में लेते हुये पाया गया। वाहन चालक श्री दिलीप सिंह ने स्वयं को वाहन का मालिक होना बताया। मारुति वैन की जब्ती कार्यवाही राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा अलग से की गई है। उक्त घरेलू सिलेण्डर बाबत अप्रार्थी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये। ऐसी स्थिति में मौके से एक घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी कम्पनी मय 10 किग्रा. एलपीजी जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, पंचनामा की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को सिलेण्डर का मालिक बताते हुये जामानतनामे / सुपुर्दगीनामे पर रिलीज करने का निवेदन किया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा रुपये 5000 / – का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर दिनांक 23 / 08 / 2006 को एक गैस सिलेण्डर बीपीसी कम्पनी के मोचन(रिलीज) आदेश जारी किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वर्ष 2013 से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां विचाराधीन प्रकरण की जानकारी के अभाव में लम्बित चल रही है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। आज बारम्बार आवाज दिलाने के बावजूद अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुए गुणावगुण के आधार पर एवं विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27 / 05 / 2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 06.05.2006 को सेन्ट जेवियर स्कूल के पास क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की जांच के दौरान संयुक्त जांच दल द्वारा मारुति वेन नम्बर आरजे–14–टी–5183 सफेद

अति. जिला कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय), जयपुर

कलर की जांच की गई तो उसमें घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी कम्पनी का वाहन चालाने के उपयोग में लेते हुये पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण ने उक्त घरेलू सिलेण्डर से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। अप्रार्थीगण ने आज दिनांक तक उक्त घरेलू सिलेण्डर से संबंधित कोई दस्तोवज पेश नहीं किये। मारुति वैन की जब्ती कार्यवाही राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा अलग से की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृत्य एलपीजी (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में एक घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी कम्पनी मय 10 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 / 05 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR